

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 120/18

1. संजू खान पुत्र ऐहसान खान आयु 23 वर्ष
2. मुस्ताक खान पुत्र ऐहसान खान आयु 29 वर्ष,
निवासीगण ग्राम स्टेशन रोड़ गोहद चौराहा
परगना गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद चौराहा

---अनावेदक

06-04-2018

आवेदक/अभियुक्तगण संजू व मुस्ताक की ओर से श्री जी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अधीनस्थ न्यायालय श्री पंकज शर्मा जेएमएफसी गोहद से मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 62/2018 शासन विरुद्ध अंजू आदि तथा पुलिस थाना गोहद चौराहा से अपराध क्रमांक 192/18 अंतर्गत धारा 323, 294, 506, 34 व 307 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

आपराधिक कार्य विभाजन सहित केस डायरी के अवलोकन से प्रश्नगत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत का नहीं होने से सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापस किया जावे।

मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 62/18 संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाये।

आदेश की प्रति सहित संबंधित थाने को केस डायरी विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद